संख्या- 365 /2025 / 3525 /चार-2025-1677231

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3518/सं0नि0-20(07-लो0 एवं ज0सं0सं0)/2020-21 दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 एवं निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-348/05(बजट)/उ0प्र0लो0ज0सं0स0/2025-26 दिनांक 26 नवम्बर, 2025 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 268 /2025/2074/चार-2025-1677231 दिनांक 18 जुलाई, 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

(1) उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा 01 माह में वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम छमाही तथा 2025-26 की प्रथम छमाही में निर्गत कुल धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के साक्ष्य स्वरूप बैंक स्टेटमेंट, पत्रावली, मूल बिल बाउचर्स परीक्षण हेतु संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा संस्कृति निदेशालय द्वारा शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

(9) उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाले व्यय **रुपये 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखाशीर्षक** 2205001012200 लोक एवं जनजातीय कला तथा सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-120-X-2025-26-दिनांक:24-12-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2025 / 3525 (1)/चार-2025-1677231 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh